

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

श्री परसुम जी नगु वाम श्री मरी कुम सारवरी चवर्क
 मुकदमा नं. 0-21R-11/जा... 19 सन 2019 ई.स.प.

<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>03/10/19 बाद/पत्रनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा</p>	<p>(संकेत)</p>
<p>15/10/19 उक्त पत्र उपरिष्ठ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/परिवर्तित है अतः पत्रावली दिनांक 21/10/19 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा</p>	
<p>21/10/19 - पत्रावली पेश हुई। मुकदमे में ईजलास की रीपापना जाफ नही। मुकदमा रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 05/11/19 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा</p>	
<p>05/11/19 उक्त पत्र उपरिष्ठ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/परिवर्तित है अतः पत्रावली दिनांक 18/11/19 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा</p>	
<p>18/11/19 पत्रावली पेश हुई। मुकदमे में तहसील करेड़ा की ओर से परिवार हस्ताक्षर डीवी की पालना कर जमा।</p>	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... न्यायालय का उपाधीकारी..... मुकाम.....
 पदेन सहायक क्लर्क..... वनाम.....
 करेड़ा (भोलवाड़ा) पारसमती नगर 1/2 क. म. म. देवी
 किस्म मुकदमा..... नं. 19/19 सुप्रीम
 021K-11 जापडी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम में
	<p>की प्रति देश की जो शर्तों पर गड। जमावदी की प्रति अनुसूची इ० नं० 6700 दिनांक 29/11/19 से राजस्व रेफार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली पर संपूर्ण शुभान्त होकर नंबर से काम की जावेगी</p> <p style="text-align: center;">8/18/11/19</p> <p style="text-align: center;">उपरोक्त अधिकाारी पदेन सहायक क्लर्क करेड़ा</p>	